न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम हनुमानराम पुत्र कामड़राम जाति मेघवाल निवासी राणासर

प्रा.पत्र नम्बर 45/2020 **GCMS No.2020/00102**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.08.2024	अप्रार्थी हनुमानराम एवं उनके अधिवक्ता श्री श्यामसुंदर चौधरी के द्वारा आवेदन–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि अनुवान राजस्थान सरकार बनाम हनुमान प्रकरण 45/2020 की तारीख पेशी दिनांक 21.08.2024 को न्यायालय हाजा में नियत है। उनवान प्रकरण में न्यायालय हाजा का स्थगन आदेश प्रभावी है जिससे अप्रार्थी उपरोक्त भूमि का रूपान्तरण नहीं करवा सकता है। इसलिए उपरोक्त स्थगन को निरस्त किया जाना आवश्यक है जिससे अप्रार्थी उपरोक्त भूमि का नियमानुसार रूपान्तरण करवा सके। उपरोक्त भूमि को अप्रार्थी एक माह की अवधि के भीतर रूपान्तरण करवाने के लिए वचनबद्ध एवं पाबंद रहेगा। इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी उक्त भूमि का भू–रूपान्तरण करवाना चाहता है। लेकिन न्यायालय हाजा का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण भू–रूपान्तरण की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अतः ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 699 रकबा 0.60 हैक्टयर किस्म गै.मु. द्वितीय कृषि भूमि के लिए पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 17.08.2020 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) Signature Not Verified Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya Date: 2024.09.09 15:42:44 IST Reason: SelfAttested	